न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उनवान – पुष्पेन्द्र सिंह बनाम तहसीलदार सीकर

किस्म मुकदमा – प्रा0–पत्र 136 एल.आर.एक्ट 1956 मुकदमा नं विविध 110 /

दिनांक	आज्ञा पत्र
5.7.25	
	तहसीलदार सीकर द्वारा पत्रांकः–भू.अ. / 2025 / 1883 दिनांक 15.05.2025 द्वारा राजस्व ग्राम रामनगर तहसील व जिला सीकर के खसरा नम्बर 2450 / 343, 2452 / 345, 2455 / 2437, 342, 344 में खातेदार का नाम राजस्व रिकॉर्ड में फूसासिंह पुत्र नाहरसिंह के स्थान पर पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र नाहर सिंह शुद्ध किये जाने बाबत् भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत प्रस्ताव भिजवाया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार राजस्व ग्राम रामनगर के खसरा नम्बर 2450 / 343, 2452 / 345, 2455 / 2437, 342, 344 में खातेदार प्रार्थी का नाम फूसासिंह पुत्र नाहर सिंह दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी की खातेदारी हिस्सा 1 / 4 दर्ज है। प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, वोटर आई डी, पैन कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र नाहर सिंह दर्ज है जबकि उक्त भूमि में खातेदार के रूप में प्रार्थी का नाम फूसासिंह पुत्र नाहरसिंह दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। ग्रामवासियां द्वारा पूछताछ में बताया गया कि फूसासिह पुत्र नाहरसिंह व पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र नाहरसिंह एक ही व्यक्ति है। तहसीलदर सीकर द्वारा रिपोर्ट वाके ग्राम रामनगर तहसील व जिला सीकर की जमाबंदी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या 99 में खातेदार का नाम फूसासिंह पुत्र नाहर के स्थान पर पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र नाहर सिंह शुद्ध किया जाने बाबत् रिपोर्ट भिजवाई है। रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया, रिपोर्ट के तथ्यों से संतुष्ट होने पर रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, सीकर के अनुसार राजस्व ग्राम रामनगर तहसील व जिला सीकर के खसरा नम्बर 2450 / 343, 2452 / 345, 2455 / 2437, 342, 344 में खातेदार का नाम राजस्व रिकॉर्ड में फूसासिंह पुत्र नाहरसिंह के स्थान पर पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र नाहर सिंह शुद्ध किये जाने की स्वीकृति धारा 136 एलआरएक्ट के प्रावधानों के तहत प्रदान की जाती है। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सीकर सीकर (राज.)